संख्या–2516/सैंतीस–2–2013–1(67)/2012

प्रेषक,

योगेश कुमार,
प्रमुख सचिव
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
पशुपालन विभाग,
उ0 प्र0 लखनऊ।

पशुधन अनुभाग–2

लखनऊः दिनांकः 27 जून, 2013

विषयः–कामधेनु डेयरी इकाईयों की ब्याज मुक्त ऋण योजना (रा.यो.) की स्थापना ।

महोदय,

पशुपालन तथा डेयरी कार्य को लघु उद्योग के रूप में विकसित करना वर्तमान सरकार की प्राथमिकताओं में से एक है। अभी तक प्रदेश में लगभग 80 प्रतिशत पशुपालन लघु एवं भूमिहीन पशुपालकों द्वारा किया जाता है। पशुपालन के क्षेत्र में उद्यमिता के विकास हेतु वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता अति महत्वपूर्ण है। उच्च ब्याज दर इस क्षेत्र में उद्यमिता के विकास में प्रमुख बाधा है, अतः पशुपालकों को ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराये जाने की आवश्यकता है ताकि उनके द्वारा उच्च गुणवत्ता तथा ज्यादा दूध देने वाले पशुओं की अधिक से अधिक इकाईयाँ स्थापित हो सकें।

2– योजना का मुख्य उद्देश्य प्रदेश में उच्च उत्पादन क्षमता के गोवंशीय एवं महिषवंशीय नर एवं मादा पशुओ का उत्पादन तथा उनके दुग्ध उत्पादन क्षमता में बढ़ोत्तरी कर रोजगार के अवसर प्रदान करना है। योजना के कियान्वयन से प्रदेश में प्रतिवर्ष 225 लाख लीटर दुग्ध का अतिरिक्त उत्पादन होगा तथा प्रदेश के पशुपालको को प्रदेश के अन्दर ही उच्च गुणवत्ता के मादा पशु प्राप्त हो सकेगें।

3– कामधेनु डेरी इकाईयों की ब्याज मुक्त ऋण योजना का स्वरूप निम्नवत् है:–

1– प्रदेश के समस्त जनपदो में 100 दुधारू गायों/भैंसों की प्रथम चरण में 1–1 यूनिट स्थापित की जायेगी तथा इसे आगामी वर्षो में विस्तारित किया जायेगा।

2–दुधारू गायो में संकर जर्सी, संकर एच0एफ0 अथवा साहीवाल प्रजाति की गाय होंगी तथा भैसो में केवल मुर्रा भैंस ही रखी जाएगीं।

3–100 दुधारू पशुओ की एक यूनिट स्थापित करने हेतु पशुपालक अपनी सुविधानुसार यह स्वयं निर्धारित करेगा कि उसे यूनिट में समस्त गाय रखनी है या समस्त भैसे रखनी है अथवा गायें/भैसें दोनो कितनी–कितनी संख्या में रखनी है।

4– गायों की यूनिट स्थापित करने में समस्त गायें एक ही प्रजाति की होंगी।

5– यूनिट की पूर्ण लागत का 25 प्रतिशत धनराशि लाभार्थी को स्वयं वहन करनी होगी एवं 75 प्रतिशत धनराशि बैंक ऋण के माध्यम से प्राप्त करनी होगी।

6– योजना लागत के 75 प्रतिशत पर या लाभार्थी द्वारा बैंक से प्राप्त ऋण पर जो भी कम हो ब्याज की प्रतिपूर्ति 5 वर्षो (60 माह) तक विभाग द्वारा बैंक को की जायेगी।

7– नियमित ऋण अदा न करने पर लाभार्थी को योजना का लाभ नहीं दिया जायेगा। नियमित ऋण अदा न करने पर योजनान्तर्गत प्राविधानित कुल ब्याज की धनराशि के यदि अतिरिक्त ब्याज पड़ता है तो उसे लाभार्थी को स्वयं वहन करना होगा।

8– गायों का गर्भाधान उच्च गुणवत्ता के सांडों से प्राप्त अतिहिमीकृत वीर्य द्वारा कृत्रिम गर्भाधान पद्धति से किया जायेगा। इस प्रकार यदि पूरी यूनिट दुधारू गायों की है तो यूनिट में सांड नही रखा जायेगा। मुर्रा सांड केवल गाय/भैसों की मिश्रित यूनिट अथवा केवल भैसों की यूनिट में रखा जायेगा।

9– योजनान्तर्गत कराये जा रहे कार्यक्रमों को राज्य सरकार/केन्द्र सरकार द्वारा संचालित अन्य योजनाओ के साथ भी डवटेल किया जायेगा ताकि लाभार्थी को अधिकतम लाभ प्राप्त हो सके।

10–पशुओं का क्रय प्रदेश के बाहर से किया जायेगा।

11–क्रय किये गये समस्त पशुओं का बीमा कराया जायेगा तथा लाभार्थी को पशुपालन प्रबन्धन में विभाग द्वारा प्रशिक्षण दिया जायेगा।

12–प्रत्येक इकाई में गोबर गैस प्लान्ट एवं फीड मिक्सर प्लान्ट स्थापित किया जायेगा।

13–योजनान्तर्गत ऐसे पशुपालको का चयन किया जायेगा जो पशुपालन में रूचि रखते हो।

14–लाभार्थी के पास पशुओं के लिये न्यूनतम 02 एकड़ भूमि होना आवश्यक है।

15–लाभार्थी द्वारा इकाई स्थापित करने का स्थान यथासम्भव पी0सी0डी0एफ0 के मिल्क रूट पर होना चाहिए।

4– लाभार्थी का चयनः–

जनपद में लाभार्थी का चयन संबंधित जनपदों के मुख्य विकास अधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा किया जायेगा। समिति के संयोजक सचिव मुख्य पशु चिकित्साधिकारी होंगे तथा लीड बैंक आफीसर एवं दुग्ध विकास अधिकारी सदस्य के रूप में नामित होंगे।

5– पशुओं का क्रयः–

पशुओं का क्रय सम्बन्धित जनपदों के मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारियों की अध्यक्षता में गठित जनपद स्तरीय समिति द्वारा किया जायेगा। सम्बन्धित बैंक का प्रतिनिधि, क्षेत्रीय पशु चिकित्सा अधिकारी एवं सम्बन्धित लाभार्थी समिति के सदस्य होंगे। पशुओं का क्रय प्रदेश के बाहर से किया जायेगा।

6– योजना पर व्यय :

100 दुधारू पशुओ (गायों/भैसो) की एक यूनिट स्थापित होने में कुल रू0 12051220.00 (रूपये एक करोड़ बीस लाख इक्यावन हजार दो सौ बीस मात्र) की लागत आयेगी, जिसमे लाभार्थी को 25 प्रतिशत धनराशि अर्थात् रू0 3013000.00 (रूपये तीस लाख तेरह हजार मात्र) मार्जिन मनी के रूप में स्वयं वहन करना होगा एवं 75 प्रतिशत धनराशि अर्थात् रू0 9038220.00 (रू0 नब्बे लाख अड़तीस हजार दो सौ बीस मात्र) बैंक से ऋण के रूप में प्राप्त करना होगा। योजनान्तर्गत ब्याज की प्रतिपूर्ति योजना लागत के 75 प्रतिशत पर या लाभार्थी द्वारा बैंक से लिये गये वास्तविक ऋण पर, जो भी कम हो, 05 वर्षो (60 माह) तक की जायेगी। बैंक ऋण पर 5 वर्षो (60 माह) में एक यूनिट पर कुल रू0–3253759.00 (रूपये बत्तीस लाख तिरपन हजार सात सौ उन्सठ मात्र) ब्याज के रूप में सरकार द्वारा वहन् किया जायेगा। प्रथम चरण में स्थापित करायी गयी 75 यूनिटो पर 05 वर्षो (60 माह) में सरकार को रू0 244031925.00 (रूपये चौबीस करोड़ चालीस लाख इकतीस हजार नौ सौ पच्चीस मात्र) बैंक ऋण पर ब्याज की प्रतिपूर्ति करने हेतु वहन करना होगा।

7– योजना के लाभः

(i) प्रदेश में प्रतिवर्ष 225.00 लाख लीटर दुग्ध का अतिरिक्त उत्पादन सम्भावित है।

(ii) प्रति यूनिट 05 वर्षो में पशुपालक को रू0 208.00 लाख का शुद्ध लाभ सम्भावित है।

(iii) प्रदेश में प्रतिवर्ष उच्चे दुग्ध उत्पादन क्षमता के 3000 नर पशु एवं 3000 मादा पशु का उत्पादन सम्भावित है।

(iv) पशुपालकों को प्रदेश के अन्दर ही उच्च उत्पादकता क्षमता के पशु उपलब्ध होना सम्भावित है।

(v) 80 यूनिट बिजली का प्रतिदिन उत्पादन सम्भावित है।

8— यह योजना आर.क.वी.वाई. में प्रस्तावित है, जिस पर मां. मुख्य मंत्री जी का अनुमोदन प्राप्त हो चुका है। अतः इस योजना के सुचारू संचालन हेतु समय सारिणी तैयार कर लें एवं उक्त समय सारिणी के अनुसार कार्यवाई करते हुए शासन को अविलम्ब अवगत कराने का कष्ट करें ।

भवदीय,

योगेश कुमार
प्रमुख सचिव।

संख्या—2416 (1)/सैंतीस—2—2013, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1— प्रमुख स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन ।
2— निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन ।
3— स्टाफ आफिसर, कृषि उत्पादन आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन ।
4— निजी सचिव, कृषि उत्पान आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन ।
5— अधिशासी निदेशक, उद्योग बन्धु, लखनऊ ।
6— समस्त जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश ।
7— समस्त अपर निदेशक, मण्डल पशुपालन विभाग, उत्तर प्रदेश।
8— समस्त मुख्य पशुचिकित्साधिकारी, पशुपालन विभाग, उत्तर प्रदेश।
9— मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उ. प्र. पशुधन विकास परिषद्, लखनऊ ।
10— गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(सुनील कुमार)
अनु सचिव